लखनऊ विश्वविद्यालय
University of Lucknow
(Accredited A++ by NAAC)

University in News on 24 May 2023

AMAR UJALA MY CITY PAGE 5

अब कोर्स के बीच दूसरे संस्थान में हो सकेगा छात्रों का स्थानांतरण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लखनऊ विश्वविद्यालय में लागू होगी छात्र स्थानांतरण नीति

माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। राष्ट्रीय शैक्षिक नीति (एनईपी) 2020 के प्रावधानों के तहत अब पाठ्यक्रम के बीच में छात्रों का एक से दूसरे संस्थान में स्थानांतरण हो सकेगा। कुछ शर्तों का पालन करके छात्र एक कोर्स की पढ़ाई एक से ज्यादा संस्थानों में कर सकेंगे। लविवि में एकेडमिक बैंक फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स (एबेकस) की नीति बन चुकी है। नए सत्र से इसे लागू करने की तैयारी है।

छात्र कोर्स की पढ़ाई एक से ज्यादा संस्थानों में कर सकेंगे

लविवि प्रवक्ता डॉ. दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि अकादमिक लचीलेपन की अनुमति देने के लिए कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने चार सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इसमें सदस्य सचिव के रूप में प्रो. पूनम टंडन, डीन एकेडमिक्स, प्रो. अरविंद अवस्थी (डीन आर्ट्स), प्रो. अवधेश कुमार (डीन सीडीसी), प्रो. विनीता प्रकाश (प्रिंसिपल, (आईटी कॉलेज) प्रो. डीके सिंह (प्रिंसिपल, नेशनल पीजी कॉलेज) शामिल हैं। समिति ने नीति लागू करने की सिफारिशें दी हैं। इन्हें पूरा करके छात्र कोर्स के बीच में ही एक से दूसरे संस्थान में जा सकेंगे। इसके लिए अबेकस-यूपी पर पंजीकरण अनिवार्य होगा।

विवि से बाहर के विद्यार्थियों को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) व एबीसी के साथ एलयूआरएन पर भी पंजीकरण कराना होगा। लविवि इस तरह से आने वाले विद्यार्थियों को बची सीट पर मेरिट के हिसाब से दाखिला देगा। हालांकि, ऐसे स्थानांतरण में विषय व वर्ग नहीं बदला जा सकेगा। छात्रों को अपने क्रेडिट भी स्थानांतरित कराने होंगे। छात्र के कम क्रेडिट होंगे तो उन्हें अतिरिक्त क्रेडिट हासिल करने के लिए कहा जाएगा और उसका प्रवेश इस शर्त के अधीन होगा। यह सुविधा सत्र के बीच में उपलब्ध नहीं होगी। शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में ही इसका लाभ लिया जा सकता है। इसके साथ ही संस्था परिवर्तन के समय सभी फीस का भुगतान करना होगा।

चार साल के स्नातक की डिग्री के लिए 7.5 सीजीपीए अनिवार्य

लविवि ने स्नातक पाठ्यक्रम को लेकर भी स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके तहत चार साल के यूजी प्रोग्राम को यूजी डिग्री (ऑनर्स विद रिसर्च) नाम दिया जाएगा। पहले छह सेमेस्टर में 7.5 और उससे अधिक का सीजीपीए हासिल करने वाले ही चौथे वर्ष में शोध का चयन कर सकते हैं। इसके साथ ही विवि और एसोसिएटेड कॉलेज के ऐसे विभाग ही चौथे साल के पाठ्यक्रम का संचालन कर सकेंगे जहां पुस्तकालय, पत्रिकाएं, कंप्यूटर लैब के अलावा सॉफ्टवेयर, प्रयोगात्मक अनुसंधान कार्य के लिए प्रयोगशाला व कम से कम दो ऐसे नियमित शिक्षक हों जो पीएचडी पर्यवेक्षक के रूप में मान्य हों।

स्नातक में सात, परास्नातक में चार साल में पूरा करना होगा कोर्स

एक बार पढ़ाई छोड़ चुके विद्यार्थियों को भी इस नीति के तहत दोबारा पढ़ने का मौका मिलेगा। इसमें यूजी सर्टिफिकेट या यूजी डिप्लोमा वाले छात्रों को तीन साल में डिग्री प्रोग्राम में फिर से प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अधिकतम सात साल में डिग्री प्रोग्राम पूरा करना होगा। पीजी डिप्लोमा वाले छात्रों को दो साल में पीजी डिग्री प्रोग्राम में फिर से प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और पीजी डिग्री प्रोग्राम चार साल की अधिकतम अवधि में पूरा करना होगा।

इन परिस्थितयों में जारी रहेगी सीधे स्थानांतरण की सुविधा

एबेकस से केंद्रीय स्तर से स्थानांतरण के साथ ही विवि के सहयुक्त कॉलेज के बीच विशेष परिस्थितियों में होने वाला स्थानांतरण कुछ शर्त के तहत चलता रहेगा। कॉलेजों और विश्वविद्यालय के बीच छात्रों के स्थानांतरण की अनुमति तब दी जा सकती है जब कॉलेज में वह कोर्स नहीं चल रहा हो। छात्र स्नातक चौथे साल में दाखिला चाहता हो और कॉलेज में उसका संचालन हो। ये दाखिले भी सीट की उपलब्धता पर निर्भर करेंगे।

लोक अदालत में शामिल हुए छात्र

लखनऊ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मंगलवार को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई। इसमें लविवि की संस्था विधिक सहायता केंद्र के सदस्यों ने प्रतिभाग किया। इन छात्रों ने लोक अदालत की कार्यप्रणाली को समझा। विधि संकाय के अध्यक्ष प्रो. बीडी सिंह ने बताया कि छात्रों ने मुकदमों की सुनवाई देखी और वैधानिकता को समझा। (संवाद)

प्रोन्नति के लिए शिक्षक करें आवेदन

लखनऊ। लविवि में कॅरिअर एडवांसमेंट योजना में प्रोफेसरों की प्रोन्नति के लिए 15 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं। कुलसचिव प्रो. संजय मेधावी ने पत्र जारी करते हुए विश्वविद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ आचार्य लेवल 15, आचार्य लेवल 14, सह आचार्य लेवल 13 व सहायक आचार्य लेवल 11 और 12 के शिक्षकों से आवेदन देने के निर्देश जारी किए हैं। (संवाद)

चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी

लखनऊ। लविवि ने शोध मेधा छात्रवृत्ति के तहत साक्षात्कार के लिए चयनित 25 छात्राओं की सूची जारी कर दी। इन्हें 27 फरवरी को जरूरी दस्तावेजों के साथ अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में साक्षात्कार देना होगा। दस छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी। (संवाद)

एमबीए प्रायोगात्मक परीक्षाएं 11 जून से

लखनऊ। लविवि में एमबीए दूसरे और चौथे सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 11 जून से शुरू होकर तीन जुलाई तक चलेंगी। विभागाध्यक्ष प्रो. अवधेश त्रिपाठी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। (संवाद)

NBT PAGE 4

एक से दूसरे संस्थान में प्रवेश के मिलेंगे विकल्प

एनबीटी संवाददाता, लखनऊ : एलयू ने राष्ट्रीय शैक्षिक नीति (एनईपी) 2020 के प्रावधानों के तहत एक संस्थान से दूसरे संस्थान में स्टूडेंट्स को जाने के लिए (छात्र स्थानांतरण) नीति तैयार कर ली है। इस नीति में स्नातक के साथ-साथ परास्नातक स्टूडेंट्स को कई प्रवेश और निकास के विकल्प मिलेंगे।

एलयू ने तैयार की छात्र स्थानांतरण नीति, स्नातक और परास्नातक पर होगा लागू

एलयू वीसी प्रो.आलोक कुमार राय ने वताया कि स्टूडेंट्स के स्थानांतरण संबंधी नीति तैयार करने के लिए चार सदस्यीय कमिटी का गठन किया था। इस कमिटी में सदस्य सचिव के रूप में डीएसडब्ल्यू प्रो. पूनम टंडन, डीन आर्ट्स प्रो. अरविंद अवस्थी, डीन सीडीसी प्रो. अवधेश कुमार, आईटी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रो. विनीता प्रकाश और नेशनल पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो.डीपी सिंह शामिल रहे। कमिटी ने स्नातक और परास्नातक कार्यक्रमों में स्टूडेंट्स के वहु प्रवेश और स्थानांतरण से संबंधित विषयों पर चर्चा की।

भारतीय स्टूडेंट्स के संबंध में संस्तुतियां

- राज्य के भीतर एकाधिक प्रविष्टि के लिए अबेकस-यूपी पर छात्रों का पंजीकरण अनिवार्य है। अन्य के लिए एबीसी के साथ-साथ एलयूआरएन पर पंजीकरण करना आवश्यक होगा।
- ऐसे छात्रों के आवेदनों पर उपलब्ध खाली सीटों के सापेक्ष मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा।
- बहु प्रविष्टि केवल उसी विषय/विषय संयोजन में मानी जाएगी।
- छात्र को अबेकस-यूपी/एबीसी के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को एलयू में स्थानांतरित करवाना होगा।
- स्टूडेंट्स द्वारा पहले से अर्जित क्रेडिट की संख्या एलयू द्वारा आवश्यक क्रेडिट से कम है, तो अनंतिम प्रवेश की अनुमति इस शर्त के अधीन दी जा सकती है कि छात्र को अध्ययन करके इस कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्रेडिट अर्जित करने की आवश्यकता होगी। संबंधित डीन/विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित विवि/एमओओसी के जरिए प्रस्तावित अतिरिक्त पाठ्यक्रम के माध्यम से यह किया जा सकेगा।
- यूजी सर्टिफिकेट या यूजी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को तीन साल के भीतर डिग्री प्रोग्राम में फिर से प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और अधिकतम सात साल की अवधि में डिग्री प्रोग्राम पूरा करना होगा।
- पीजी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को दो साल के भीतर पीजी डिग्री प्रोग्राम में फिर से प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और पीजी डिग्री प्रोग्राम को चार साल की अधिकतम अवधि के भीतर पूरा करना होगा।
- संबंधित महाविद्यालयों को उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार एकाधिक प्रविष्टि के माध्यम से स्टूडेंट्स को प्रवेश देने की अनुमति दी जाएगी।
- शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में इसका लाभ उठाया जा सकता है।

HINDUSTAN PAGE 6

एनईपी: एलयू में तैयार की गई छात्र स्थानांतरण नीति

लखनऊ, कार्यालय संवाददाता। लखनऊ विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक नीति (एनईपी) 2020 के प्रावधानों के तहत एक संस्थान से दूसरे संस्थान में छात्रों को जाने के लिए अपनी छात्र स्थानांतरण नीति तैयार कर ली है। एनईपी 2020 स्नातक के साथ परास्नातक छात्रों को कई प्रवेश और निकास के विकल्प प्रदान करती है।

इस तरह के अकादमिक लचीलेपन की अनुमति देने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित दिशानिर्देशों की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए एलयू कुलपति प्रो आलोक कुमार राय ने एक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया। जिसमें सदस्य सचिव के डीन एकेडमिक्स रूप में प्रो. पूनम टंडन, डीन आर्ट्स प्रो अरविंद अवस्थी, डीन सीडीसी प्रो अवधेश कुमार, आईटी कॉलेज प्राचार्या प्रो विनीता प्रकाश और नेशनल डिग्री कॉलेज प्राचार्य प्रो डीपी सिंह शामिल हैं। समिति ने स्नातक और परास्नातक कार्यक्रमों में छात्रों के बहु प्रवेश और स्थानांतरण से संबंधित विषयों पर चर्चा की।

HT PAGE 4

LU PREPARES ITS STUDENT TRANSFER POLICY

HT Correspondent
letters@htlive.com

LUCKNOW : University of Lucknow (LU) has prepared its policy of transferring students from one institution to another under the provisions of National Educational Policy (NEP) 2020, an official said.

NEP 2020 provides options of multiple entry and exit to UG as well as PG students. As such, well-defined guidelines are required for allowing such academic flexibility.

For this purpose, vice chancellor, LU, Prof Alok Kumar Rai had constituted a five-member committee.

The committee discussed the issue related to multiple entry and transfer of students in UG and PG programmes. In regard to multiple entry for Indian students, a number of recommendations were made.

For multiple entry within the state, registration of students on Academic Bank for College and University Students of Uttar Pradesh (ABACUS-UP), a student-centric academic service portal, is mandatory and Academic Bank Credit (ABC) for others (nationally). They shall also be required to register on LU registration number (LURN).

The application of such students shall be considered in order of merit against vacant seats. Lateral entry shall be considered only in the same subject/subject combination, said Prof Poonam Tandon, dean, student welfare, LU.

JAGRAN CITY PAGE III

एनईपी में स्थानांतरण वाले विद्यार्थियों को मेरिट से मिलेगा प्रवेश

जासं, लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अंतर्गत एक संस्थान से दूसरे संस्थान में छात्र-छात्राओं के स्थानांतरण के लिए नीति तैयार कर ली है। राज्य के अंदर मल्टीपल एंट्री के लिए विद्यार्थियों को एकेडमिक बैंक फार कालेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंटस आफ उत्तर प्रदेश (अबेकस यूपी) पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। प्रदेश के बाहर वालों के लिए एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट्स (एबीसी) एबीसी के साथ एलयूआरएन पर पंजीकरण जरूरी होगा। प्रवेश मेरिट से दिया जाएगा। कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय की ओर से गठित चार सदस्यीय कमेटी ने स्थानांतरण नीति में यह सिफारिश की है। कमेटी में सदस्य सचिव के रूप में डीन एकेडमिक्स प्रो. पूनम टंडन, डीन आर्ट्स प्रो. अरविंद अवस्थी डीन सीडीसी प्रो. अवधेश कुमार, आइटी कालेज की प्राचार्या डा. विनीता प्रकाश और नेशनल पीजी कालेज के प्राचार्य प्रो. देवेंद्र कुमार सिंह शामिल हैं।

सात साल में यूजी, चार साल में पीजी की डिग्री : यूजी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा वाले छात्र-छात्राओं को तीन साल के अंदर डिग्री प्रोग्राम में फिर से प्रवेश मिलेगा। उन्हें अधिकतम सात साल में डिग्री पूरी करनी होगी। वहीं, पीजी डिप्लोमा वालों को दो साल के अंदर फिर से प्रवेश की अनुमति मिलेगी। उन्हें पीजी डिग्री अधिकतम चार साल में पूरी करनी होगी।

चार साल के स्नातक का स्ट्रक्चर : चार साल के यूजी प्रोग्राम को यूजी डिग्री (आनर्स विद रिसर्च) नाम दिया जाएगा। प्रो. पूनम टंडन ने बताया कि जो छात्र-छात्रा पहले छह सेमेस्टर में 7.5 और उससे अधिक का सीजीपीए हासिल करके चौथे वर्ष में जारी रखते हुए शोध करना चाहते हैं उन्हें चौथे वर्ष में प्रवेश का मौका मिलेगा। विश्वविद्यालय एवं सहयुक्त कालेजों को अपने यहां स्नातक चौथे वर्ष को चलाने के लिए विभागों में पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, साफ्टवेयर, प्रयोगशाला जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं और कम से कम दो पूर्णकालिक संकाय सदस्य, जिन्हें पीएचडी पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त है, यूजी कार्यक्रम के चौथे वर्ष के पात्र होंगे।

ये होंगे नियम

- स्थानांतरण वाले छात्र-छात्राओं को अबेकस-यूपी, एबीसी नेशनल स्तर के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को लवि में स्थानांतरित करवाना होगा।
- यदि छात्रों के पास पहले से अर्जित क्रेडिट की संख्या लवि के आवश्यक क्रेडिट से कम है तो अनंतिम प्रवेश की अनुमति इस शर्त के अधीन दी जाएगी कि छात्र को अध्ययन करके अतिरिक्त क्रेडिट अर्जित करना होगा। यह संबंधित डीन या विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय या मूक्स के माध्यम से प्रस्तावित अतिरिक्त पाठ्यक्रम के माध्यम से किया जा सकेगा।
- संस्था परिवर्तन के समय समस्त संबंधित शुल्क का भुगतान करना होगा।
- कालेजों को मल्टीपल एंट्री के माध्यम से प्रवेश देने की अनुमति दी जाएगी।
- नामांकन और क्रेडिट हस्तांतरण की सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय को सूचित किया जाएगा।

इन परिस्थितियों में मिलेगी स्थानांतरण की अनुमति

- जब कालेज कार्यक्रम जारी रखने के लिए तैयार न हों।
- विद्यार्थी स्नातक चौथे वर्ष में प्रवेश कर रहे हों और कालेज चौथे वर्ष को चलाने के इच्छुक न हों।
- इन दोनों परिस्थितियों में शामिल छात्र-छात्रा अपनी पसंद के अनुसार लखनऊ के किसी भी संबद्ध कालेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं।

PIONEER PAGE 3

एलयू की स्टूडेंट्स ट्रांसफर पॉलिसी तैयार

एकेडमिक क्रेडिट के आधार पर मिलेगा बाहरी छात्रों को प्रवेश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

नई शिक्षा नीति के तहत तय प्रावधानों के चलते स्टूडेंट्स को एक संस्थान से दूसरे संस्थान में पढ़ाई को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय ने छात्र स्थानांतरण नीति तैयार की है। इस नीति के तहत बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले स्टूडेंट्स को अब आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे संस्थानों में आसानी से प्रवेश मिल सकेगा।

एनईपी 2020 में स्नातक व परास्नातक छात्रों को प्रवेश और निकास के विकल्प मिलते हैं। जिसको देखते हुए कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। जिसमें सदस्य सचिव के तौर पर प्रोफेसर पूनम टंडन डीन एकेडमिक्स, डीन आर्ट्स प्रो अरविंद अवस्थी, डीन सीडीसी प्रो अवधेश कुमार, आईटी कालेज की प्राचार्य प्रो विनीता प्रकाश, नेशनल पीजी कालेज के प्राचार्य प्रो. डीके सिंह शामिल थे। समिति ने स्नातक और परास्नातक कार्यक्रमों में विद्यार्थियों के बहु प्रवेश और स्थानांतरण से संबंधित नीति तैयार कर ली है। जिसे अब मंजूरी के लिए राजभवन भेजा जाएगा।

लविवि में सबसे पहले एनईपी लागू: प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को मल्टीपल एग्जिट एंट्री का प्रावधान है। लखनऊ विश्वविद्यालय में 2020 में नई शिक्षा नीति को अपने यहां लागू किया था। ऐसे में जो छात्र पहले और दूसरे साल विश्वविद्यालय से बीच में पढ़ाई छोड़ कर जा चुके हैं या जाना चाह रहे हैं। उन्हें निकट भविष्य में दोबारा से अगर अपना पढ़ाई शुरू करना हो या डिग्री पूरी करनी हो तो एंट्री किस तरह मिले, इसके लिए स्थानांतरण नीति तैयार की गई है। इस नीति के लागू होने से विद्यार्थी आसानी से अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर सकते हैं।

यह है स्टूडेंट्स स्थानांतरण नीति: राज्य के भीतर एकाधिक प्रविष्टि के लिए अबेकस.यूपी (एकेडमिक बैंक फॉर कालेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऑफ उत्तरप्रदेश) पर विद्यार्थियों का पंजीकरण अनिवार्य है व अन्य के लिए एबीसी (एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट) के साथ साथ एलयूआरएन पर पंजीकरण करना आवश्यक होगा। विद्यार्थियों के आवेदनों पर संस्था में उपलब्ध खाली सीटों के सापेक्ष मेरिट से किया जायेगा। आवेदन केवल उसी विषय/विषय संयोजन में माना जाएगा। छात्र को अबेकस.यूपी/एबीसी के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को लखनऊ विश्वविद्यालय में स्थानांतरित करवाना होगा। यदि छात्रों द्वारा पहले से अर्जित क्रेडिट की संख्या लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक क्रेडिट से कम है, तो प्रवेश की अनुमति इस शर्त के विद्यार्थी को अध्ययन करके इस कमी को पूरा कर अतिरिक्त क्रेडिट अर्जित करना होगा। संबंधित डीन/विभागाध्यक्ष की ओर से अनुमोदित विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रस्तावित अतिरिक्त पाठ्यक्रम के जरिए से यह किया जा सकेगा। यूजी सर्टिफिकेट या यूजी डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों को तीन साल के भीतर डिग्री प्रोग्राम में फिर से प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और अधिकतम सात साल की अवधि में डिग्री प्रोग्राम पूरा करना होगा। वहीं पीजी डिप्लोमा वाले छात्रों को दो साल के भीतर पीजी डिग्री प्रोग्राम में फिर से प्रवेश की अनुमति दी जाएगी व पीजी डिग्री प्रोग्राम को चार साल की अधिकतम अवधि के भीतर पूरा करना होगा। संबोधित महाविद्यालयों को आये आवेदन के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश देने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही नामांकन और क्रेडिट हस्तांतरण की सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय को सूचित करना होगा। संस्था परिवर्तन के समय समस्त संबंधित शुल्क का भुगतान करना होगा। कॉलेजों और विश्वविद्यालय के बीच विद्यार्थियों के स्थानांतरण की अनुमति देते समय इसका ध्यान रखना होगा। यूजीसी के यूजी कार्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या और क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत समिति ने यूजी कार्यक्रम के लिए की गई सिफारिश। चार साल के यूजी प्रोग्राम को यूजी डिग्री (ऑनर्स विद रिसर्च) नाम दिया जाएगा। जो विद्यार्थी पहले छह सेमेस्टर में 7.5 और उससे अधिक का सीजीपीए हासिल किये हो और चौथे वर्ष में जारी रखना चाहते हैं और स्नातक स्तर पर शोध करना चाहते हैं, वे चौथे वर्ष में एक शोध टॉपिक चुन सकते हैं।

AMRIT VICHAR PAGE 5

छात्रों को अब मिलेंगे प्रवेश निकास के कई विकल्प

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार : लखनऊ विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक नीति (एनईपी) 2020 के प्रावधानों के तहत एक संस्थान से दूसरे संस्थान में छात्रों को जाने के लिए अपनी छात्र स्थानांतरण नीति तैयार की है। यह नीति छात्रों को अब कई प्रवेश व निकास का विकल्प देगी।

एनईपी 2020 स्नातक के साथ-साथ परास्नातक छात्रों को कई प्रवेश और निकास के विकल्प प्रदान करती है। इस तरह के अकादमिक लचीलेपन की अनुमति देने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित दिशानिर्देशों की आवश्यकता होती है। इसके लिए कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने एक चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसमें सदस्य सचिव के रूप में प्रोफेसर पूनम टंडन, डीन एकेडमिक्स, प्रो अरविंद अवस्थी (डीन आर्ट्स), प्रो अवधेश कुमार (डीन सीडीसी), प्रो विनीता प्रकाश (प्रिंसिपल, (आई.टी. कॉलेज) प्रो डी पी सिंह (प्रिंसिपल, नेशनल पीजी कॉलेज) शामिल हैं। मंगलवार को समिति ने स्नातक और परास्नातक कार्यक्रमों में छात्रों के बहुप्रवेश और स्थानांतरण से संबंधित विषयों पर चर्चा की।

• लखनऊ विश्वविद्यालय ने तैयार की छात्र स्थानांतरण नीति

छात्रों के लिए बहु प्रवेश के संबंध में मिली संस्तुति

- राज्य के भीतर एकाधिक प्रविष्टि के लिए अबेकस-यूपी पर छात्रों का पंजीकरण अनिवार्य है और अन्य के लिए एबीसी के साथ साथ एलयूआरएन पर पंजीकरण करना आवश्यक होगा।
- ऐसे छात्रों के आवेदनों पर उपलब्ध रिक्त सीटों के सापेक्ष मेरिट के क्रम में विचार किया जायेगा।
- बहु प्रविष्टि केवल उसी विषय/विषय संयोजन में मानी जाएगी।
- छात्र को अबेकस-यूपी व एबीसी के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को लखनऊ विश्वविद्यालय में स्थानांतरित करवाना होगा।
- यूजी सर्टिफिकेट या यूजी डिप्लोमा वाले छात्रों को तीन साल के भीतर डिग्री प्रोग्राम में फिर से प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और अधिकतम सात साल की अवधि में डिग्री प्रोग्राम पूरा करना होगा।
- पीजी डिप्लोमा वाले छात्रों को दो साल के भीतर पीजी डिग्री प्रोग्राम में फिर से प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और पीजी डिग्री प्रोग्राम को चार साल की अधिकतम अवधि के भीतर पूरा करना होगा।
- शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में इसका लाभ उठाया जा सकता है।
- संस्था परिवर्तन के समय समस्त संबंधित शुल्क का भुगतान करना होगा।

THE PIONEER PAGE 3

Varsity prepares student transfer policy under NEP

PNS ■ LUCKNOW

Lucknow University has prepared its Student's Transfer Policy from one institution to other under the provisions of National Educational Policy (NEP) 2020.

Lucknow University spokesperson said that NEP provides options of multiple entry and exit to UG as well as PG students. "As such, well-defined guidelines are required for allowing such academic flexibility. For this purpose, Vice-Chancellor Prof Alok Kumar Rai constituted a four-member committee that discussed the issue related to multiple entry and transfer of students in UG and PG programmes," he said.

For multiple entry within the state, registration of students on ABACUS-UP (Academic Bank for College and University student) is mandatory and ABC (Academic Bank of Credits) for others, they will also be required to register on LURN.

The committee recommended that the application of such students will be considered in order of merit against vacant seats available.

Lateral entry will be considered only in the same subject, subject combination.

The students will have to get the credits earned, transferred to the University of Lucknow through ABACUS-UP/ABC.

In case the number of credits already earned by the students is less than that required by LU, provisional admission may be permitted subject to the condition that the student will be required to earn additional credits to make up for the deficit by studying additional courses offered by the university/or through MOOCs as approved by dean/head concerned.

Students with UG certificate or UG diploma will be allowed re-entry into the degree programme within three years and they will have to complete the degree programme within a maximum period of seven years.

Students with PG diploma will be allowed re-entry into the PG degree programme within two years and will have to complete the PG degree programme within a maximum period of four years.

Associated colleges will be permitted to admit students through multiple entry as per the above guidelines and inform the university to ensure completion of all formalities of enrollment and credit transfer.

This can be availed at the beginning of the academic year. At the time of change of institution, all the relevant fees will have to be paid.

With the provision of multiple exit/entry under NEP, the process of direct transfer from one institution to another has lost its relevance. However, transfer of students among associated colleges and the university may be permitted under the following circumstances:

- When the college is not willing to continue the programme.
- Students entering the fourth year of its programme and the college is not willing to run the fourth year of the UG Programme.
- Students covered under above two situations can seek admission in any associated College/University of Lucknow as per their choice and would be considered for admission in order of merit against the availability of seats.